राज्यों द्वारा भू-स्वामित्व अधिकार की गारंटी दिया जाना

5010. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों द्वारा भू-स्वामित्व अधिकार की गारंटी देने की व्यवस्था शुरू करने संबंधी कार्य-पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) देश में राज्य द्वारा भूमि के स्वामित्व की गारंटी देने की एक प्रणाली को लागू करने संबंधी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है । एक अंतर-मंत्रालय विशेषज्ञ दल का गठन भूमि के स्वामित्व के पंजीकरण की प्रणाली के विभिन्न पहलुओं और इसकी जटिलताओं की जांच करने के लिए किया गया है। विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने का निर्णय किया और तदनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विचार मंगाये जा रहे हैं ।

राज्य के "भूमि के स्वामित्व की गारंटी" की प्रणाली को शुरू करने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता की जांच करना भारत सरकार द्वारा भू-राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण पर गठित समिति के विचारणीय मुद्दों में से एक है। यह समिति अन्य पहलुओं के साथ-साथ इसकी भी जांच कर रही है ।

कृषि मजदूरों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

5011. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कृषि मजदूरों को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) क्या सरकार कोई और कदम उठाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश की पेयजल योजनाएं

5012. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एजेंसियां मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और शहरों में पेयजल योजनाओं के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पेय जल योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी हां । "के.एफ.डब्ल्यू. आफ जर्मनी" ने मध्य प्रदेश के 478 गांवों में पेयजल सप्लाई सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोग किया है । वे राज्य को 379 और गांवों में जल सप्लाई सुविधाएं मुहैया करवाने में भी सहयोग दे रहे हैं जिसमें कार्य शीघ्र ही शुरू किए जायेंगे । तथापि, मध्य प्रदेश के नगरों में पेयजल सप्लाई योजनाओं के लिए स्वदेशी सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) परियोजना 297 योजनाओं को कवर करती है । इनमें से 100 योजनाएं 1994-95 के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से शुरू की जानी है ।

(ग) योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूर्ण कर लिये जाने अपेक्षित हैं ।